UPMP010023192026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02022**

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 788/2026

पवन कुमार उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र राजीव कुमार निवासी मौहल्ला सौतियाना थाना कोतवाली,जिला मैनपुरी।

---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ---विपक्षी/वादी

आदेश

1– **प्रार्थी/अभियुक्त पवन कुमार** की ओर से यह प्रार्थना पत्र **मुकदमा अपराध संख्या 141/ 2026 अन्तर्गत धारा– 80(2),85 115(2),बी.एन.एस. व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना–कोतवाली** जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि,''वादी मुकदमा द्वितेन्द्र पुत्र उरवीर सिंह ग्राम नगला केहरी थाना बेवर जनपद मैनपुरी का निवासी है। प्रार्थी ने अपनी बहन की शादी घटना की दिनांक से करीब 6 वर्ष पूर्व पवन कुमार पुत्र श्री राजीव कुमार निवासी मोहल्ला सोतियाना नई बस्ती थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी के साथ की थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। उक्त दहेज से पवन कुमार पुत्र राजीव कुमार, सुदामा देवी पत्नी राजीव कुमार, ननद रूबी ने शादी के एक माह बाद ही दहेज के लिए बहन के ऊपर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिये। दहेज के सम्बन्ध में कई बार पंचायत भी हुई। किन्तु उन लोगों ने उत्पीड़न करना बन्द नहीं किया। मेरी बहन समय समय पर पुलिस व हम लोगों को सूचना देती रही थी। दिनांक 05.03.2026 को समय 02.00 बजे दिन उक्त सभी लोगों ने एक राय होकर सास सुदामा देवी पत्नी राजीव कुमार, पवन कुमार पुत्र राजीव कुमार, देव कुमार पुत्र राजीव कुमार, गोपाल कुमार पुत्र राजीव कुमार, ननद रूबी कुमार व पवन का दोस्त ललित निवासी मोहल्ला सोतियाना ने मेरी बहन रानी देवी को मारपीट कर गला दबाकर फांसी लगाकर हत्या कर दी है। घटना की सूचना पुष्पेन्द्र बहनोई ने हम लोगों को दी है कि आपकी बहन की हत्या उक्त लोगों ने मिलकर कर दी है। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

4– **प्रार्थी/अभियुक्त** की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि,'' घटना से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की कहानी मनगढ़ंत व निराधार है। प्रार्थी

ने उपरोक्त केस में कतई अपराध नहीं किया है और न ही उपरोक्त अपराध में शामिल है। प्रार्थी को मौहल्ले की पार्टीबंदी के कारण रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीअपने माता पिता से अलग रहकर मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा था। उसके उक्त अपराध में संलिप्त होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थी पर लगाए गए आरोप अतिरिक्त दहेज के किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया गया है तथा अभियुक्त के परिवार वालों में किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त दहेज की कभी मांग नही की गयी है। अपनी हैसियत के अनुसार पत्नी मृतका को हँसी खुशी से रखा। प्रार्थी की जानकारी के अनुसार शादी बिना किसी दान दहेज के साधारण तौर पर हुई थी। प्रार्थी ने कभी भी अतिरिक्त दहेज की कोई मांग नहीं की और न ही अतिरिक्त दहेज के लिए कभी गाली गलौज,मार–पीट व प्रताड़ित नहीं किया। प्रार्थी घटना के दिनांक 25–02–2026 से पूर्व मेहनत मजदूरी करने हेत फिरोजाबाद गया हुआ था,इसलिए उक्त घटना से प्रार्थी का कोई सरोकार वास्ता नहीं है। प्रार्थी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा एफ.आई.आर एक दिन देरी से लिखाई गई है,परन्तु देरी का कोई कारण स्पष्ट अंकित नहीं है। मृतका कई दिन से अपने पिता के घर जाने पर अड़ी थी परन्तु प्रार्थी ने मृतका से कहा कि एक दो दिन में आ जाऊँगा तो साथ ही चलेंगे। मृतका के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। मृतका ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना का कोई भी स्वतन्त्र गवाह नही है। प्रार्थी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। मृतका ने अपने परिवारीजन से कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग की बात नहीं बताई। क्योंकि प्रार्थी व उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कभी भी अतिरिक्त दहेज में कोई किसी प्रकार की मांग को लेकर प्रताड़ित व गाली गलौज व मार–पीट नहीं की गई। सह अभियुक्त सुदामा देवी की जमानत दिनांक 06–05–2026 को न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी ने अपनी पत्नी/मृतका को कभी भी दुखी व परेशान नहीं किया हमेशा उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा,कभी प्रताड़ित नहीं किया। प्रार्थी अपनी जमानत देना चाहता है तथा दौरान मुकदमा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।''

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी बहिन जिसका विवाह पवन कुमार के साथ घटना से 6 वर्ष पूर्व किया था ,की मारपीटकर गला दबाकर हत्या अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज की कथित माँग पूरी न होने के कारण किया जाना कहा गया है जिसकी पुष्टि वादी मुकदमा,मृतका की माँ व बहिन द्वारा पुलिस को दिए गए बयान से भी होती है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दृष्टिगत होता है कि विवाह के 7 वर्ष के अन्दर मृतका की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु कारित हुयी है। आवेदक मृतका का पति है। पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से दृष्टिगत होता है कि मृतका की मृत्यु का कारण Asphyxia due to antemortem hanging बताया गया है तथा गर्दन पर लिगेचर आना दर्शित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध कथित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले के तथ्य एवम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अभियुक्त द्वारा योजित जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पवन कुमार द्वारा योजत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः24.06.2026

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.24 14:08:55 +0530